

क्रमांक : स.अ./त्रि.म.न्यास/मेला त्रिलोकपुर/2025- 360

कार्यालय तहसीलदार नाहन एवम् मन्दिर अधिकारीमन्दिर न्यास त्रिलोकपुर,
जिला सिरमौर, हि.प्र.

दिनांक , नाहन 10 सितम्बर 2025

सेवा में,

Sh.Karan Singh

Mobile No.80917-90595

S/o Late Sh.Trilochan Singh

R/o Village Trilokpur , Tehsil Nahan,

H.P. 173030

विषय

नवरात्र मेला के दौरान 22 सितम्बर 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक मेला वाहन पार्किंग
कार्य आदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 15 सितम्बर 2025 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय स्थित नाहन में विभिन्न ठेकेदारों की उपस्थिति में हुई नीलामी में आपके द्वारा दी गई दरें 825000 रु अधिकतम होने के कारण संलग्न शर्तों अनुसार स्वीकृत की जाती है। उक्त दिवस को आपसे प्राप्त 75 प्रतिशत 6,20,000 रु राशि जमा राशि न्यास के खाता में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा शेष राशि का पोस्ट डेटिड चैक भी जमा हो चुकी है जिसकी पुष्टि की जाती है। कृपया शेष राशि का चैक प्रस्तुत करने की करें जिसे मेला के अन्तिम दिवस को जमा कर दिया जाएगा।

अतः आपको एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि आप निर्धारित शर्तों अनुसार मेला क्षेत्र में न्यास द्वारा चयनित भूमि पर वाहनों की पार्किंग हेतु निम्नलिखित शुल्क चार्ज करें तथा निःशुल्क वाहनों को छूट शर्त अनुसार ही रहेगी। आपसे अनुरोध है कि वाहनों की सुनियोजित पार्किंग हेतु यथा आवश्यक अपने कर्मचारी तैनात करें जो मेला प्रवेश मार्ग पर हिमुडा गेट तक वाहन शुल्क चार्ज कर रसीद जारी करेंगे। आपकी सार्वजनिक वाहनों की जिम्मेदारी केवल न्यास द्वारा हिमुडा से कय की गई भूमि तथा अन्य किराए पर ली गई भूमि पर पार्किंग की ही होगी। कृपया सभी शर्तों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करवाएं, किसी भी शर्त की अनुपालना न करने की स्थिति में आपकी जमा धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है।

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. कार / जीप / एल.एम.वी. वाहन | 50 रु पचास रु प्रतिदिन |
| 2. स्कूटर / मोटरसाईकल | 30 रु तीस रु प्रतिदिन |
| 3. ट्रक / ट्रेक्टर / ट्राली | 100 रु एक सौ रु. प्रतिदिन |

4. लोन शर्त

तहसीलदार नाहन एवम् मन्दिर अधिकारी
एवम् एस0डी0एम0 नाहन

अनुक्रमांक-यथोपरि
प्रतिलिपि सेवा में,

1. उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर स्थित नाहन को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मेला पुलिस अधिकारी एवम् डी.एस.पी. मेला कैम्प त्रिलोकपुर ,
3. एस.डी.एम.नाहन एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर को सूचनार्थ
4. मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट त्रिलोकपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. सहायक अभियंता/सहायक प्रबन्धक ,मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर को उचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु गृहरक्षा के सुरक्षा गार्ड, पेयजल व बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से सूचनार्थ प्रेषित है।
6. गार्ड फाईल

तहसीलदार नाहन एवम् मन्दिर अधिकारी
एवम् एस0डी0एम0 नाहन

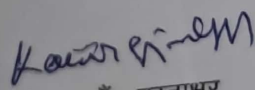
Handwritten signature

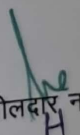
आश्विन नवरात्र मेला 2025 मेला प्रवेश एवम् पार्किंग ठेका हेतु शर्तें ।।

नवरात्र मेला के दौरान 22 सितम्बर 2025 की प्रातः 5 बजे से 07 अक्टूबर 2025 की सांय 6 बजे तक मेला के दौरान यात्रियों के निर्धारित स्थल पर मेला प्रवेश एवम् वाहन पार्किंग कार्य हेतु निर्धारित शर्तें

1. ठेकेदार द्वारा वाहनों की सुनियोजित पार्किंग हेतु अपने अधीनस्थ कर्मचारी तैनात किए जाएं व त्रिलोकपुर स्थित मेला प्रवेश मार्ग गुरुकृपा युनिट से हिमुडा तक निम्नलिखित वाहन शुल्क चार्ज कर रसीद जारी करेंगे जिस पर मेला प्रवेश एवम् वाहन पार्किंग शुल्क लिखा जाए।

1.	कार / जीप / एल.एम.वी. वाहन	50रु	(पचास रु) प्रतिदिन
2.	स्कूटर / मोटरसाईकल	30रु	(तीस रु) प्रतिदिन
3.	ट्रक / ट्रेक्टर / ट्राली / बस	100रु	(एक सौ रु.) प्रतिदिन
2. भूमि उपलब्धता मन्दिर न्यास द्वारा निम्नानुसार सुनिश्चित की जाएगी तथा दिनांक 22 सितम्बर 2025 को प्रातः 5 बजे से प्रारम्भ हो 07.10.2025 को सांय 6 बजे तक ही उपरोक्त दरों अनुसार पार्किंग शुल्क 12 घण्टे हेतु चार्ज किया जा सकता है। पार्किंग एवम् प्रवेश शुल्क हेतु निर्धारित दरें जिसके लिए सार्वजनिक सूचना के बैनर लगाने अनिवार्य हैं—
3. मन्दिर न्यास द्वारा समस्त पार्किंग स्थलों पर स्वयम् सी.सी.टी.वी. कैमरे, पेयजल तथा अस्थाई शौचालय सुविधा व सफाई कार्य मन्दिर न्यास द्वारा करवाया जाएगा। ठेकेदार की सार्वजनिक वाहनों जो कि वाहन स्वामी द्वारा बीमा करवाई हुई हों की ही जिम्मेदारी सुरक्षित पार्किंग ही होगी जोकि न्यास द्वारा हिमुडा तथा अन्य किराए पर ली गई भूमि पर पार्किंग करवाई जाए। ठेका बीच में छोड़ कर जाने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. सरकारी, मन्दिर न्यास तथा स्थानीय त्रिलोकपुर ग्राम के ग्रामवासियों वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी आपदा के कारण यदि मेला संचालन में बाधा होगी तो आनुपातिक तौर पर ही राशि मान्य होगी अर्थात कम दिवस होने पर राशि आपदा दिवसों हेतु वापिस कर दी जाएगी।
5. विशेष परिस्थिति में न्यास द्वारा स्वीकृत पास अनुसार बाईपास मार्ग से मन्दिर के पिछली ओर पार्किंग किए जाने वालों वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पार्किंग शुल्क वसूल किया जाएगा
6. ठेकेदार की जिम्मेदारी केवल चयनित स्थल पर यात्रियों द्वारा वाहन पार्किंग ही होगी तथा यात्री द्वारा वाहन में कोई भी कीमती सामान आदि की जिम्मेदार ठेकेदार की नहीं होगी। पार्किंग स्थल पर वाहनों की सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा नियमित गश्त सुनिश्चित करने हेतु न्यास द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
7. वाहनों की पार्किंग हेतु निर्धारित भूमि पूर्णतः सफाई करवाने सहित न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।


स्वीकार हैं हस्ताक्षर
ठेकेदार का नाम व पता


तहसीलदार, नाहन एवम् मेला अधिकारी